न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 72 सन 2018

अनवान :–

1. राजेश पुत्र साहबराम जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

सायल

बनाम

1. ओमप्रकाश 2 कृष्ण कुमार 3 महेन्द्र 4 विजयकुमार पुत्र बेगराज जाति नाई निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. आत्माराम पुत्र साहबराम जाति नाई निवासी दिपलाना तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल
श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक :– 14/02/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 73/57 की कुल 6.8290हैक भूमि में से 270 हिस्सा व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 83/75 की कुल 1.3156हैक रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 72/68 की कुल 5.3100हैक भूमि में सायल व गैरसायल न0 5 व तरतीबी गैरसायल न0 7 ता 11 का 1/6 हिस्सा व गैरसायल न0 1 ता 4 का 4/6 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

बेगराज फोत हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान गैरसायल न0 1 ता 4 व गैरसायल न0 6 व एक पुत्री ओमकला एवं मृतक साहबराम हुए साहबराम के जायज वारिस सायल व गैरसायल न0 5 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 है।

बेगराज के फोत होने के बाद सायल की भूआ ओमकला ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा थ वह गेरसायल न0 1 ता 5 के पक्ष में तर्क कर दिया इसलिये विवादित भूमि में उसका कोई हक हिस्सा नही है दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तबरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सह काश्तकार का उसक खाता या खाते की भूमि से हक समाप्त हो जाते है तथा उस खाते के बकाया सह काश्तकार बहिब के हकदार हो जाते है।

दस्तबरदारी दिनांक 12.06.2018 के द्वारा ओमकला का हक व हिस्सा समाप्त हो गया अब वादग्रस्त भूमि में उसका कोई हक हिस्सा शेष नही रहा दस्तबरदारी दिनांक 12.06.2018 से अकेले गैरसायल न0 1 ता 5 को कोई हक हिस्सा हासिल नही होता बल्कि वादग्रस्त भूमि से ओमकला पुत्री बेगराज का हक समाप्त होते है एवं सायल व गैरसायल न0 1 ता 11 के पक्ष में उसका हिस्सा समाहित हो जाता है उक्त दस्तबरदारी दिनांक 12.06.2018 को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाकर सायल विवादित भूमि में अपने व गैरसायल संख्या 5 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 का 21/6 हिस्सा की धोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायल न0 1 ता 5 ने अपनी भूआ से गलत दस्तवरदारी करवाली जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज भी करवा ली है उक्त गलत ईन्द्राज के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल करवाना चाहते है यदि हक से ज्यादा भूमि उक्त दस्तवरदारी के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाकर उसका नाजायज फायदा उठाने के लिये विवादित भूमि को रहन बेय या अन्य प्रकार से मुन्तकिल कर सकता है गैरसायल न0 1 ता 5 यदि अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि वाद भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल न0 1 ता 5 को पाबन्द किया जावे की वह रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 73/57 की कुल 6.8290हैक भूमि में से 270 हिस्सा व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 83/75 की कुल 1.3156हैक रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 72/68 की कुल 5.3100हैक भूमि की मोका एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसालय न0 1 ता 5 जरिय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की बेगराज के फोत होने पर मुताबिक हक हिस्सा बेगराज के सभी 6 वारीसों को 1/6 – 1/6 हिस्सा भूमि विरासतन से

उपखण्ड अधिकारी नोहर (राजस्थान)

आदिनांक तक बहाल एवं प्रभावी है जब तक दस्तवरदारी बहाल एवं प्रभाव में है सायल किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है दस्तवरदारी को खारीज करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है गैरसायल दस्तबरदारी के आधार पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि में सायल कितना हक हिस्सा पाने का अधिकारी है दस्तवरदारी एक के पक्ष में की जा सकती है या सभी सहखातेदारों के पक्ष में हक त्याग माना जावेगा प्रार्थना पत्र यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 73/57 की कुल 6.8290हैक भूमि में से 270 हिस्सा व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 83/75 की कुल 1.3156हैक रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 72/68 की कुल 5. 3100हैक भूमि में सायल व गैरसायल न0 5 व तरतीबी गैरसायल न0 7 ता 11 का 1/6 हिस्सा व गैरसायल न0 1 ता 4 का 4/6 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है अर्थात सायल एवं गैरसायल दोनो की मुश्तरका रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल व गैरसायल दोनो के पक्ष में सामान है।

सायल का कथन है कि ओमकला के द्वारा दिनांक 12.06.2018 को गैरसायल न0 1 ता 5 के पक्ष में करवाई गई दस्तवरदारी के आधार पर गैरसायल न0 1 ता 5 अकेले को कोई अधिकार प्राप्त नही होते बल्की सभी सहकाश्तकारो को बराबर का हक प्राप्त होगा।

प्रस्तुत दस्तवरदारी दिनांक 12.06.2018 के अनुसार ओमकला जो गैरसायल न0 1 ता 5 की भूआ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि जो विरास्तन से प्राप्त हुई थी की दस्तबरदारी गैरसायल न0 1 ता 5 के पक्ष में करवाई गई थी।

ओमकला के द्वारा दिनांक 12.06.2018 को करवाई गई दस्तवरदारी के आधार पर सहकाश्तकारों को हक हिस्सा प्राप्त होगा या नही यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबतों /तनकीआत कायम होने के उपरान्त ही साबित हो सकता है

प्रस्तुत जमाबन्दीयों के अनुसार वाद भूमि अभी भी ओमकला पुत्री बेगराज के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात ओमकला के द्वारा करवाई गई दस्तवरदारी का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही हुआ है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि अभी भी ओमकला के नाम से दर्ज है अर्थात ओमकला की दस्तवरदारी दिनांक 12.06.2018 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन नही हुआ है जब राजस्व रिकार्ड में दस्तबरदारी का अंकन ही नही हुआ तो सायल गैरसायल को किस तथ्य के आधार पर पाबन्द करवाना चाहता है।

वर्तमान में गैरसायल बेगराज के देहानत होने पर विरास्तन से वाद भूमि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे सायल पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को भविष्य में होने वाली कार्यवाही की सम्भावना के लिये पाबन्द नही किया जा सकता है पाबन्द किये जाने से सायल को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही होती बल्की गैरसायलान को होगी क्योकि वह रिकार्डेड खातेदार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

गैरसायल न0 1 ता 5 के पक्ष में ओमकला के द्वारा करवाई गई दस्तवरदारी एक रजिस्टर दस्तावेजात है जो वर्तमान में बहाल एवं प्रभावी है दस्तवरदारी को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है यदि सायल को गैरसायल न0 1 ता 5 के पक्ष में करवाई गई दस्तवरदारी के सम्बध में कोई ऐतराज है तो दस्तवरदारी निरस्त करवाने की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की जा सकती है।

इसप्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल व गैरसायल दोनो के सामन रूप में पक्ष में होने एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु गैरसायल के पक्ष में पाया जाता है

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में नही होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा दिनांक 26.06.2018 को वाद भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14/2/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

प्राप्त हुई थी तथा मुताबिक हक हिस्सा ओमकला को 1/6 हिस्सा प्राप्त हुआ जिसकी वह स्वतन्त्र हकदार थी व अपना हक हिस्सा अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकती थी ओमकला के द्वारा दिनांक 12.06.2018 को दस्तवरदारी के द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि को गैरसायल न0 1 ता 5 में करवाई गई दस्तवरदारी पंजीयन विभाग के द्वारा प्रमाणित है जो उपं पंजीयन महोदय के समक्ष स्वय उपस्थित होकर अपनी स्वैच्छा से करवाई गई है। दस्तवरदारी के जरिये गैरसायल को हक प्राप्त हुए है जिसके वे खातेदार काश्तकार है।

ओमकला ने अपने हक हिस्सा की भूमि की दस्तवरदारी गैरसायल संख्या 1 ता 5 के पक्ष में करवाई गई है ओमकला के द्वारा करवाई गई दस्तवरदारी एक रजिस्टर दस्तावेजात है जो आदिनांक तक बहाल एवं प्रभावी है जब तक दस्तवरदारी बहाल एवं प्रभाव में है सायल किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है दस्तवरदारी को खारीज करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है गैरसायल दस्तबरदारी के आधार पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायलान का जबाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 73/57 की कुल 6.8290हैक भूमि में से 270 हिस्सा व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 83/75 की कुल 1.3156हैक रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 72/68 की कुल 5.3100हैक भूमि में सायल व गैरसायल न0 5 व तरतीबी गैरसायल न0 7 ता 11 का 1/6 हिस्सा व गैरसायल न0 1 ता 4 का 4/6 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

बेगराज फोत हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान गैरसायल न0 1 ता 4 व गैरसायल न0 6 व एक पुत्री ओमकला एवं मृतक साहबराम हुए साहबराम के जायज वारिस सायल व गैरसायल न0 5 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 है।

बेगराज के फोत होने के बाद सायल की भूआ ओमकला ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा थ वह गेरसायल न0 1 ता 5 के पक्ष में तर्क कर दिया इसलिये विवादित भूमि में उसका कोई हक हिस्सा नही है दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तबरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सह काश्तकार का उसक खाता या खाते की भूमि से हक समाप्त हो जाते है तथा उस खाते के बकाया सह काश्तकार बहिब के हकदार हो जाते है।

दस्तबरदारी दिनांक 12.06.2018 के द्वारा ओमकला का हक व हिस्सा समाप्त हो गया अब वादग्रस्त भूमि में उसका कोई हक हिस्सा शेष नही रहा दस्तबरदारी दिनांक 12.06.2018 से अकेले गैरसायल न0 1 ता 5 को कोई हक हिस्सा हासिल नही होता बल्कि वादग्रस्त भूमि से ओमकला पुत्री बेगराज का हक समाप्त होते है एवं सायल व गैरसायल न0 1 ता 11 के पक्ष में उसका हिस्सा समाहित हो जाता है उक्त दस्तबरदारी दिनांक 12.06.2018 को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाकर सायल विवादित भूमि में अपने व गैरसायल संख्या 5 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 का 21/6 हिस्सा की धोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायल न0 1 ता 5 ने अपनी भूआ से गलत दस्तवरदारी करवाली जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज भी करवा ली है उक्त गलत ईन्द्राज के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल करवाना चाहते है यदि हक से ज्यादा भूमि उक्त दस्तवरदारी के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाकर उसका नाजायज फायदा उठाने के लिये विवादित भूमि को रहन बेय या अन्य प्रकार से मुन्तकिल कर सकता है गैरसायल न0 1 ता 5 यदि अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि वाद भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाने के आदेश फरमावें सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की बेगराज के फोत होने पर मुताबिक हक हिस्सा बेगराज के सभी 6 वारीसों को 1/6 – 1/6 हिस्सा भूमि विरास्तन से प्राप्त हुई थी तथा मुताबिक हक हिस्सा ओमकला को 1/6 हिस्सा प्राप्त हुआ जिसकी वह स्वतन्त्र हकदार थी व अपना हक हिस्सा अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकती थी ओमकला के द्वारा दिनांक 12.06.2018 को दस्तवरदारी के द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि को गैरसायल न0 1 ता 5 में करवाई गई दस्तवरदारी पंजीयन विभाग के द्वारा प्रमाणित है जो उपं पंजीयन महोदय के समक्ष स्वय उपस्थित होकर अपनी स्वैच्छा से करवाई गई है। दस्तवरदारी के जरिये गैरसायल को हक प्राप्त हुए है जिसके वे खातेदार काश्तकार है।

ओमकला ने अपने हक हिस्सा की भूमि की दस्तवरदारी गैरसायल संख्या 1 ता 5 के पक्ष में करवाई गई है ओमकला के द्वारा करवाई गई दस्तवरदारी एक रजिस्टर दस्तावेजात है जो आदिनांक तक बहाल एवं प्रभावी है जब तक दस्तवरदारी बहाल एवं प्रभाव में है सायल किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है दस्तवरदारी को खारीज करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है गैरसायल दस्तबरदारी के आधार पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जोधपुर